न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–78/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00148)

01. रतनलाल ,
02. सुरेश चन्द पुत्रान चिरंजीलाल,
03. विजय कुमार,
04. कमलेश पुत्रान बंशीधर ब्राहम्ण, समस्त निवासी रधुनाथपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. अमित कुमार पुत्र शंकरलाल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी राजाजी का बास, तहसील व जिला अलवर।
02. लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री भागीरथमल,
03. विशम्भर पुत्र स्व. श्री भागीरथमल,
04. हरिशंकर पुत्र स्व. श्री भागीरथमल,
05. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री भागीरथ, जाति ब्राहाम्ण, हाल निवासी मकान नम्बर–9, देवेन्द्र घोष रोड़, भवानीपुरा कोलकाता।
06. श्रीमती मंजूलता पुत्री स्व. श्री छुट्टन लाल शर्मा, धर्मपत्नी श्री सुरेश चन्द जाति ब्राहाम्ण, निवासी कस्बा सांगानेर, जिला जयपुर।
07. केशव किशोर पुत्र श्री छुट्टनलाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी–8, कल्याण नगर (प्रथम) मोरानी मोटर्स के पीछे, टोंक रोड़, जयपुर।
08. श्रीमती ममता देवी धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, निवासी 156, विश्वकर्मा नगर (प्रथम) महारानी फार्म, दुर्गापुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
09. कौशल किशोर शर्मा पुत्र श्री छुट्टन लाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी 121/161, विजय पथ मानसरोवर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. दिनेश पुत्र श्री शंकरलाल, जाति ब्राहम्ण निवासी राजाजी का बास, तहसील व जिला अलवर।
11. श्रीमती सविता देवी पुत्री श्री शंकरलाल धर्मपत्नी श्री सीताराम, जाति ब्राहम्ण हाल निवासी राजाजी का बास, तहसील व जिला जयपुर।
12. श्रीमति कविता पुत्री स्व. श्री भगीरथमल धर्मपत्नी श्री रावमतार शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी कस्बा बचेली वाया जगदलपुर, तहसील बचेली, जिला दन्तेवाडा (छत्तीसगढ़)
13. ग्राम पंचायत पाथरेडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पाथरेडी।
14. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 09.09.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर के आदेश दिनांक 27.03.2012 (प्रकरण संख्या 8/2009ए) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम पाथरेडी में सीताराम ब्राहाम्ण के नाम खातेदारी की भूमि थी और सीताराम जी के पश्चात् उनके पुत्रों के नाम भूमि का इन्द्राज हुआ तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 1230 लगायत 1235 कुल किता 6 कुल रकबा 3.12 हैक्टयर भागीरथ पुत्र सीताराम ब्राहाम्ण का हिस्सा 1 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1238 खसरा नमबर 1240 लगायत 1242 कुल किता 4 कुल रकबा 2.27 हैक्टयर में भागीरथ पुत्र सीताराम का कृषि बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 1098 रकबा 1.98 हैक्टयर, खसरा नमबर 1103 रकबा 0.85 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.56 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1105 रकबा 1.03 हैक्टयर खसरा नम्बर 1106 रकबा 0.78 हैक्टयर खसरा नम्बर 1108 रकबा 1.29 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 5.69 हैक्टयर खसरा सम्पूर्ण भागीरथ के पुत्र सीताराम ब्राहाम्ण की खातेदारी में 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 1219 रकबा 1.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1220 रकबा 0.41 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1221 रकबा 1.70 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1222 रकबा 0.93 हैक्अयर, खसरा नम्बर 1223 रकबा 0.95 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.08 हैक्टयर में भागीरथ पुत्र सीताराम का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है, भागीरथ पुत्र सीताराम का देहावसान दिनांक 12.12.2000 को हो जाने के कारण भागीरथ पुत्र सीताराम के सभी वारिसान की आपसी सहमति के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 21.10.2002 को ग्राम पंचायत पाथरेडी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के नाम खुला जिसकी जानकारी भागीरथ के सभी वारिसान को रही है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 जिनका कि भागीरथ कि विरासत का नामान्तरकण खुला है वह कभी भी उक्त आराजीयात पर व स्वयं भागीरथ काबिज नही रहे है बल्कि अपीलान्ट ही उक्त आराजीयात पर काबिज रहे है इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने अपीलान्ट जो रेस्पोडेन्ट के परिवारिक सदस्य है, के हक में एक रजिस्टर्ड प्रलेख द्वारा दिनांक 05.12.2003 द्वारा को हकत्याग कर अपीलान्ट्स के हक में तस्दीक करा दिया जिसके आधार पर अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुका है तथा रेस्पोडेन्ट ओमप्रकाश ने आराजी खसरा नम्बर 1098, 1103, 1104, 1005, 1006, व 1108 को जरिये ईकरारनामा अपीलार्थीगण को बेचान कर दिया और ओमप्रकाश के मन में बदनियति आने के कारण विक्रय पत्र न कराने के कारण अपीलार्थीगण ने एक वाद उक्त आराजीयात हेतु स्पेसिक परफोरमेन्स का सिविल न्यायालय में दायर कर रखा है जहॉ राजास्व रिकार्ड में परिवर्तन न करने के आदेश भी दिये हुये है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बसाझ अन्य रेस्पोडेन्ट मियाद बाहर अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी तथा अपीलार्थीगण को पक्षकार भी अपील में नही बनाया था और अपीलार्थीगण को ज्यो ही अपील की जानकारी हुई तो अपीलार्थीगण ने पक्षकार बनने का आवेदन दिया और पक्षकार बनाकर दस्तावेज पेश किये तथा मियाद के आवेदन पर अपीलार्थीगण ने आपत्ति की थी और अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के आवेदन पर ही पत्रावली का बहस हेतु रखा था और मियाद के आवेदन पर ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर बहस सुने बिना ही रेस्पोडेन्ट को नाजायज लाभ देने की गरज से मियाद के आवेदन की बहस पर ही जो गुणावगुण पर निर्णय अपील का किया है, वह सरासर अवैधानिक है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल पारित किया गया है क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 571 भागीरथ के समस्त वारिसान की सहमति के आधार पर ही खुला था जिसकी जानकारी सभी वारिसान को रही है। उन्होने कथन किया है कि सन् 2000 में खुले नामान्तरकराण की कोई अपील सन् 2009 तक नही की है बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने भागीरथ के सभी वारिसान की सहमति के आधार पर अपीलार्थीगण के हक में उनके पूर्व कब्जे के आधार पर अपना जमीन में कोई हक नही मानते हुए रजिस्टर्ड हकत्याग भी अपीलार्थीगण के हक में दिनांक 05.12.2003 को किया जिसके आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण संख्या 682 भी खुल चुका है जिसकी जानकारी भी समस्त रेस्पोडेन्ट को रही है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 12 ने आपसी साजिश कर अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होते हुये भी अपीलान्ट को पक्षकार न बनाकर अपील नामान्तरकरण संख्या 571 के विरूद्ध दायर की है जबकि नामान्तरकरण संख्या 682 के पश्चात नामान्तरकराण संख्या 571 का कोई औचित्य नही रहा था और अपीलान्ट ही खातेदार दर्ज थे तथा नामान्तरकरण संख्या 682 के विरूद्ध कोई अपील भी दायर नही की गई है जिसके कारण भी नामान्तरकरण संख्या 571 की अपील चलने योग्य नही थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी पहलू को नजरअन्दाज कर निर्णय देने मे सरासर गलती की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियिम का जवाब प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट किया था कि रेस्पोडेन्ट लक्ष्मण व कविता पुत्री भारगीरथ ने एक वाद इन्ही आराजीयात हेतु सन् 2008 में दायर किया था जो वाद लक्ष्मण बनाम ओमप्रकाश आदि के नाम से था जिसमें सभी रेस्पोडेन्ट पक्षकार भी थे और रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरकरण संख्या 571 को ही चुनौती देते हुए वाद दायर किया जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट को नामान्तरकरण संख्या 571 की जानकारी 13.08.2008 दावा दायरी के दिन से ही रही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से इन सभी पहलूओं को नजरअन्दाज कर निर्णय देने के सरासर गलती की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने केवल प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन पर ही बहस की थी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका दिनांक 13.02.2012, 17.02.2012, 27.02.2012 व 28.02.2012 एवं 12.03.2012 से स्पष्ट है कि बहस केवल मात्र प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर ही सुनी गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को नाजायज लाभ देने की गरज से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो सरासर अवैधानिक है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि भागीरथमल की विरासत का नामान्तरकरण सभी पुत्रों के नाम खुला था और नामान्तरकरण वारिसान की स्वैच्छा से खुला है, यह विचारणीय बिन्दू केवल वाद के द्वारा ही निर्णित किया जा सकता है क्योंकि जब स्वयं कविता पुत्री भागीरथ ने जो दावा उक्त नामान्तरकरण को चुनौती

देते हुए ये जो घोषणा का किया था वह वाद वापस ले लिया था तो वारिसान के नाम नामान्तरकरण खुलने का विवाद 9 साल बाद अपील के जरिये तय नही हो सकता है, वह केवल वाद के जरिये ही तय हो सकता था जिसके कारण भी अपील चलने योग्य नही थी तथा गुणावगुण पर कोई बहस भी नही सुनी गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से निर्णय देने मे सरासर गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2012 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि श्री भागीरथमल का स्वर्गवास हो जाने पर नियमानुसार नामान्तरकरण श्री भागीरथमल के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों चारों पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद, ओमप्रकाश, विशम्भर दयाल व हरिशंकर तथा तीनों पुत्रीयों श्रीमती मालतीदेवी, श्रीमती शान्तीदेवी व श्रीमती कविता के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर अर्थात 1/7–1/7 तस्दीक किया जाना आवश्यक था परन्तु ग्राम पंचायत पाथरेडी ने दिनांक 21.10.2002 को नामान्तरकरण सख्या 571 अपीलार्थी अथवा उनकी हक पूर्वाधिकारी स्व. श्रीमती शान्तीदेवी को किसी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का मौका दिये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम ही बहिस्सा बराबर–बराबर तस्दीक फरमा दिया गया जो पूर्ण रूप से अवैध था। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम पंचायत पाथरेडी ने स्व. श्री भागीरथमल की विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार को कोई नोटिस एवं सुनवाई का मौका प्रदान नही किया और इसलिये श्रीमती शान्तदेवी को अपने जीवनकाल मे कभी नामान्तरकरण संख्या 571 की जानकारी नही हो सकी, श्रीमती शान्तीदेवी का स्वर्गवास हो जाने पर रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार की जानकारी नही हो सकी। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट अमित कुमार दिनांक 20.02.2009 को जब ग्राम पाथरेड़ी आये ओर श्री हरिशंकर पुत्र स्व. श्री भागीरथमल जी से अपने हिस्से की भूमि की फसल में अपना हिस्सा मांगा तो वे साफ इन्कार हो गये और उन्होने कहा कि तुम्हारा तो किसी भी भूमि में कोई हिस्सा नही है, भागीरथमल का स्वर्गवास होने पर नामान्तरकरण मौजूदा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के नाम ही तस्दीक किया गया है और इसलिये अब तुम्हारी भूमि विवादग्रस्त में कोई अधिकार नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा दी गई उपरोक्त वर्णित धमकी की सच्चाई की जॉच करने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जब राजस्व भू अभिलेखों की जानकारी की तो पता चला कि राजस्व भू अभिलेखों में भागीरथमल के उत्तराधिकारियों के रूप मे मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का ही नाम दर्ज है, इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने और अधिक मालूमात की तो पता चला कि नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 21.10.2002 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के ही नाम तस्दीक किया गया है, अपीलान्थी ने दिनांक 24.02. 2009 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रतिलिपि हेतु तहसीलदार के कोटपूतली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया और कानूनी परामर्श प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध जानकारी के दिन से अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ

भागीन आयुक्त जयपुर

P.T.O.

न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2012 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि नामान्तरकरण विवादग्रस्त तस्दीक करने से पूर्व ग्राम पंचायत पाथरेडी ने रेस्पोडेन्ट अथवा उनके हक पूर्वाधिकारी श्रीमती शान्तीदेवी को किसी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का मौका प्रदान नही किया गया एवं नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय एवं न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित तस्दीक किया गया था जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय ही थी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2002 में किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 21.10.2002 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील दिनांक 06.03.2009 अपीलान्ट्स को बिना पक्षकार बनाये ही प्रस्तुत की गई तत्पश्चात् अपीलान्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने उन्हे प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है, अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली की आदेशिका दिनांक 02.02.2012 को प्रकरण जवाब बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में नियत हुआ तत्पश्चात् प्रकरण दिनांक 12.03.2012 को बहस सुने जाने तक बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में ही था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निर्णय पारित किया गया है जिसके जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधर पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण कर प्रकरण में उभयपक्ष की पुनः अंतिम बहस सुनी जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।